

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अनारक एन/23-15/EPSC / Appt/ HRD / 2024 /

प्रकाशन दिनांक 2024

अनारक नियुक्ति आदेश (Provisional Appointment Order)

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अधिकायन पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार लक्ष्यीय सदस्यिकाओं में अनारक (Provisional) नियुक्ति आदेश की जाती है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम व पता (श्री./श्री/श्रीमती/श्रीमती)	पैरि संख्या	अनारक	श्रेणी	श्रेणी विशेष विवरण	अभ्यर्थी का फोटो व अभ्यर्थ संख्या के अनारक नाम के	पदस्थान (राजकीय सहायिकाओं)
1	सैफुल्लाह कुमार सैफुल्लाह पुत्र श्री अनारक सिंह पान मोस्ट आंध्रप्रदेश लक्ष्यीय राजस्थान जिला अनारक - 301001	M-001	15-05-1998	BC	GENM	 7900	सैफुल्लाह (अनारक)
2	अनारक कुमारी पुत्री श्री अनारक संख्या नं. 04 अनारक के पदों सैफुल्लाह सैफुल्लाह जिला अनारक - 301001	M-002	25-12-1997	BC, WE	GENM	 4207	अनारक
3	सैफुल्लाह पुत्र श्री अनारक सैफुल्लाह पान मोस्ट आंध्रप्रदेश सहायिकाओं अनारक सैफुल्लाह लक्ष्यीय राजस्थान जिला अनारक - 344022	M-003	01-07-1991	BC, RG	GENM	 2005	सैफुल्लाह (अनारक)
4	सैफुल्लाह कुमारी पुत्र श्री अनारक सैफुल्लाह पान मोस्ट आंध्रप्रदेश लक्ष्यीय राजस्थान जिला अनारक - 334005	M-004	02-05-1998	BC, NG, RG	GENM	 9853	अनारक (अनारक)
5	अनारक सिंह पुत्र श्री अनारक सिंह पान मोस्ट अनारक श्री अनारक लक्ष्यीय अनारक सैफुल्लाह जिला अनारक - 331024	M-005	24-11-1998	BC	GENM	 8445	अनारक

Signature valid

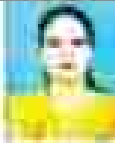
Digitally signed by G. Prakash
Bairwa
Designation: Commissioner
Date: 2025.07.15:02:23 IST
Reason: Approved



70	समीर सुनिर्जी पुत्र श्री दयाल सुनिर्जी ग्राम पोस्ट सावतसर तहसील पंचपुर जिला श्रीगंगानगर - 335042	M-070	01-07-1985	BC, RG	OBCM	 1710	मेडससिटी
71	निशा बाबत पुत्री श्री इन्द्र सिंह बाबत प्लॉट नं. 12 गिनाही जालोनी ग्राम जिला जयपुर-303029	M-071	08-11-1987	BC, WE, RG	OBCF	 2387	बीलवाडा कम्पा
72	ज्योति जालिंड पुत्री श्री नरमन जलज गालिंड 45 इस्तिर विहार जालोनी अलोछा जीव इंदर रोड, सौचदा इलाहाबाद जिला जयपुर - 302012	M-072	09-12-1999	BC, WE	OBCF	 1833	बीलवाडा एम एस जे
73	राज सिंह इन्दीरिया पुत्र श्री किश दयाल इन्दीरिया ग्राम 8 पोस्ट जिनवारी तहसील मुसावर जिला नरतपुर - 301407	M-073	27-12-1998	BC, EX	OBCM	 9248	नरतपुर एम एस जे
74	गोमाल कुमा पुत्र श्री बाला राम, 23 पापपुरा जोखसर तहसील गिवा जिला जालोनी - 344032	M-074	05-08-1994	BC	OBCM	 0491	सकनैर कम्पा
75	सखकिरण पुत्री श्री रामगोपाल ग्राम रामदेव मण्डिर जे पास इन्दिरा मार्केट जून्करनगर तहसील जून्करनगर जिला बीकानेर - 334803	M-075	21-09-1989	BC, WE, RG	OBCF	 2882	पाली कम्पा
76	शिवराज मोहनराज पुत्र श्री उदय जाल मोहनराज 71 बालू मोहनराज गामे तहसील जयपुर जिला बीकानेर - 311202	M-076	11-07-1993	BC, NG, RG	OBCM	 1839	बनैडा (बीलवाडा)
77	सपना बानी पुत्री श्री जडिलेस बानी अहमदा मोहनराज ग्राम पोस्ट सुवशाहली तहसील नगर जिला डींग - 301208	M-077	05-07-1998	EW, S,WE, ME	EWSM	 9839	नरतपुर एम एस जे

Signature valid

Digitally signed by G. Prakash
Bairwa
Designation: Commissioner
Date: 2025.07.16 05:02:23 IST
Reason: Approved

174	सतीश कुमार वर्मा पुत्री श्री भगवान लक्ष्मण वर्मा ग्राम मोस्ट खोडरी तहसील बानसपुर जिला बरेilly-201402	M-177	05-05-1984	SC, EX	SCM	 5097	मुन्डागार (अलगपर)
175	बन्दी सीता पुत्री श्री जनराम आन सीता ए-153, नई नगर-एन-01, सुनी अमरसिंह जिला अजमेर-301001	M-178	15-08-1978	ST, WE, WD, RG	STF	 7464	अलगपर बागवा
176	प्रीति कुमारी पुत्री श्री सत्यनारायण वर्मा, आई एचएस कॉलोनी डेल मोशन रोड बजविया जिला समीरनगरीपुर - 322001	M-179	30-04-1984	SC, WE, WD	SCF	 2981	समीरनगरीपुर
177	गोमती देवी पुत्री श्री नूरुलकर किसान कॉलोनी समयगढ़ रोड, आई नं 37, सिमा सुबीर, नखिल, सतुल सीकर जिला सीकर - 332001	M-180	01-12-1988	BC, WE, WD	OBCF	 7096	सुयानगढ़
178	अनू सता बाबत पुत्री श्री नयन किरोर बाबत नीलमना नखोडी जिला अजमेर - 301705	M-181	27-08-1973	BC, WE, WD	OBCF	 0172	सरीकुई

1. अनुसूचित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परिश्रम काज के लिए कार्यपत्रिका दिखि से दित किया जाी अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार मासिक स्थिर परिश्रम रुपये 40000/- प्रतिमाह देय होगा। यह परिश्रम मासिक बचत खातालय की खमदगीत में हुये निर्मा के विरुद्ध मासिक सार्विक खातालय में जाी गई SLP28585/2018 संस्थापन बाधे बलाग गोमती कुमावत के निर्मा के अध्यागीत होगा।
2. परिश्रम काज में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एव अग मले देय नही जाी, अर्थात परिश्रम काज को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नही रित जावेगा। परिश्रम अर्थात में अग सुविधाये या अथवा आदि संस्थापन सेवा नियमों में संशोधित प्रख्यातों के अनुसार देय जाी।
3. परिश्रम काज में स्थिर परिश्रमों में से जाीएक की कटीली सम्बन्धित सेवा नियमों ओर बल संज्ञात हात समय-समय पर जारी आदेशों एव सारों के अनुसार जाी।
4. एका अभ्यर्थी को कार्य एवं लावण परिश्रम अर्थात में जाी की लया परिश्रम काज की सार्वि पर संशोधन नही नामा गमा जाी अग बिना किसी अतिरुति के सेवा में किसी की समय विरुद्ध किया जा जावेगा।
5. जो वर्ष का परिश्रम काज संकलना पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें दित (नियम अनुसार) रिमा की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के नियम 13 अनुसार-II के

Signature valid

Digitally signed by G. Prakash
Bairwa
Designation: Commissioner
Date: 2025.07.16:02:23 IST
Reason: Approved

अनुसार सहायक आचार्य पर हेतु देय वेतनमान (15800-39100) ग्रेड पे 8000 (A1-10) देय होगा तथा सहायक मुख्य न्यायाधीश की सहायि पर इनका जमा वेतन जेडएन में प्रत्युत्तन पूरा वेतन ऊपर 57750/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा।

6. राज्य सरकार के अध्यापियों को देय वेतन एवं अन्य सेवा भत्तों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/ विज्ञापन निर्देश लागू होंगे।
7. उक्त अध्यापियों की नियुक्ति पर कानूनी विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सहाय सम्बंधी आग्रहान लागू होंगे।
8. उक्त अध्यापियों की नियुक्ति सम्बंधित सेवा विषयों और सम्मान द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन होंगे।
9. उक्त अध्यापियों को कार्यपत्रक करने हेतु माता भाला देय नहीं होगा।
10. यह नियुक्ति अधीन, विजिलेंसलय अनुमनक वैदिकल कॉलेज/ मुख्य विजिलेंस एवं स्वास्थ अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ16(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.75 एवं आदेश क्रमांक एफ2(1)डीओपी/ A-II/2016 दिनांक 13.03.2020 द्वारा प्रस्तुत निर्देशों के अनुसार स्वास्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लागू होगी।
11. सम्बंधित अध्यापियों का वरिष्ठ स्थापन नहीं किया गया है। यह अनर्गल (Provisional) नियुक्ति कानूनी विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(DOP/A-2/17 दिनांक 16.05.2018 की परामर्श में अध्यापियों द्वारा प्रस्तुत Attestation Form के आधार पर जारी की जाती है। अध्यापियों द्वारा Attestation Form में अंकित कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा अध्यापियों का वरिष्ठ एवं पूर्णवर्ती स्थापन उचित नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अनर्गल नियुक्ति निरस्त की जायेगी तथा अध्यापियों को विजिलेंस नियमानुसार आग्रहिक/ बीजानी/ विजिलेंस कार्यवाही की जायेगी तथा यह अध्यापियों द्वारा किसी राजकीय नियुक्ति हेतु भी वाक नहीं बना जायेगा।
12. जो अध्यापियों पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार डी वेतन वाले देय होने पर प्रस्तुत स्थापन पर कार्यपत्रक के समय पूर्व विरोधक के द्वारा उचित रास्ते (Through Proper Channel) से कार्यपत्रक किये जाने का आदेश एवं मस मुतासल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति सहाय पूरा दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन होगी। यदि किसी अध्यापियों के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा वल्लक्षण पायी जायेगी तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ सहाय सम्मान कर सकेगी।
14. उक्त अध्यापियों की जमान लागू नहीं है जो इन्होंने सेवा के आरंभ पर ही से अंकित की है और विजिलेंस सम्मान ओक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सम्बंध सम्मान के परामर्श स्वीकार किया गया है।
15. चयनित अध्यापियों के अपने से वरिष्ठ/ कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाव में कार्यपत्रक उठाव करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सम्मान ओक सेवा आयोग अजमेर से वरिष्ठ सूची के आधार पर ही होगा।
16. उक्त अध्यापियों को पूर्व की किसी भी प्रकार की सेवा के आधार पर अनुभव तथा योग्यताओं का जमान देय नहीं होगा जिसने की एएन की सम्मिति है।
17. सम्बंधित अध्यापियों को दिनांक 07-08-2025 तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यपत्रक उठाव कर सेवा वाकिर उक्त सिधि के परामर्श अवोदसालाकार की अनुमति के बिना कार्यपत्रक नहीं करने दिया जायेगा और इनकी नियुक्ति तब ही निरस्त समझी जायेगी।

(श्री. श्री. प्रकाश बैरा)

आयुक्त

कानूनी विभाग

Signature valid

Digitally signed by श्री. प्रकाश बैरा
Designation: आयुक्त
Date: 2025.07.16 02:23 IST
Reason: Approved

इतिअभि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. तत्पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इनके पत्र क्रमांक एक/12/नर्ती-छ / Coll-AP / Pol SA / RPSC/2023-2024/16 दिनांक 17.06.2025 एवं 323 दिनांक 20.06.2025 के संदर्भ में।
2. सिविल सहायक सार्वजनिक एवं न्यायपाली सेवा विद्या राजस्थान, जयपुर।
3. सिविल सहायक, अतिरिक्त मुख्य सहायक, मुख्य शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिविल सहायक, आयुक्त, कोलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बंधित आचार्य- कुमारा परमार्थ अथर्वी को समस्त दस्तावेजों को मूल अंशों परों में भेज करे। अथर्वी से दस्तावेजों की वा-प्रमाणित प्रति तथा स्थाप्य प्रमाण पत्र भेज करे। परमार्थ आचार्य की वसूली की कार्यवाही करना करे।
6. सम्बंधित विद्ये के अध्यक्ष, विजिलेसालय मेडिकल कोलेज/मुख्य विजिलेसालय एवं स्थाप्य अधिकारी कुमारा राज्य सरकार के सदस्य क्रमांक एक/5 (1) डीओपी/ए-11/1974 दिनांक 01.01.1975 एवं आदेश क्रमांक एक/2(1)डीओपी/ए-11/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अथर्वी से जोच हेतु निर्धारित मुख्य प्राप्त कर इनके स्थाप्य को परीक्षा का स्थाप्य प्रमाण पत्र प्रचार्य सम्बंधित राजकीय नडाविद्यालय को प्रेषित कर इन कार्यवाही को भी सुनिश्चित करने का कर करे।
7. सम्बंधित अथर्वी - कुमारा कार्यवाही करना करने से पूर्व अथर्वी मूल विद्या अथर्वी मूल विद्ये से परवधानत किया गया है इस सम्बंधित विद्ये के अध्यक्ष, विजिलेसालय मेडिकल कोलेज/मुख्य विजिलेसालय एवं स्थाप्य अधिकारी से स्थाप्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर नडाविद्यालय के प्रचार्य को प्रस्तुत करे।
8. स्थापना शाखा - सम्बंधित अथर्वी को मूल आदेश पत्र एवं मूल स्थाप्य पत्र भेजें।
9. आर्थिक शाखा/नौपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सहित नडाविद्यालय।
10. वेबसाइट प्रभावी आयुक्तालय कोलेज विद्या को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को दिनांक की वेबसाइट पर अपलोड करे।

(डी. जी. प्रकाश बैरवा)

आयुक्त

कोलेज शिक्षा विभाग

राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by D. J. Prakash
Bairwa
Designation: Commissioner
Date: 2025.07.15:02:23 IST
Reason: Approved